राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एंव स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.17(1) नविवि/अभियान/2021 जयपुर, दिनांक: 2 NOV 2021

–: स्पष्टीकरण परिपत्र:–

ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी/एम.आई.जी–ए/एम.आई.जी–बी/एच.आई.जी के आवासो के संबंध में :–

विभागीय आदेश दिनांक 01.09.2021, 20.09.2021 व 28.09.2021 द्वारा ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी/एम.आई.जी–ए/एम.आई.जी–बी/एच.आई.जी के आवासों में बकाया ब्याज राशि जमा कराने की छूट प्रदान की गई है। निकायों द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना, बीएसयूपी योजना आदि के अन्तर्गत बनाये गये ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी/एम.आई.जी–ए श्रेणी के आय वर्ग के लिये आवास निर्मित किये गये है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भी उक्त आय वर्ग के साथ एम.आई.जी–बी/एच.आई.जी आवासों व स्वतंत्र भूखण्ड (Plinth level) का आवंटन किया गया है। मुख्य रूप से आवंटन किराया क्रय पद्धति निर्धारित किश्तों पर किया गया है। ऐसे समस्त आवास/भूखण्ड जिनमें बकाया किश्ते व बकाया मूल राशि अभियान अवधि के दौरान एक मुश्त जमा कराई जाती है तो ब्याज व पैनेल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान करते हुये भूखण्ड/आवास बहाल भी स्थानीय स्तर पर किया जावे।

कई स्थानों पर नगर निकायों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत आवास निर्मित किये गये है किन्तु उनका आवंटन नहीं हुआ है या मूल सुविधाओं के अभाव में आवास जर्जर अवस्था में हो रहे है। अतः इन आवासो में मूलभूत सुविधाऐं उलब्ध करावकर आवंटित आवासों का कब्जा देने की कार्यवाही की जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, जयपुर।
5. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
6. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. वरिष्ठ शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner